

फा. सं. 1/2/2015-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

10 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.01.2015 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 18 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2/2014-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा 107 प्रतिशत की दर को 01 जनवरी, 2015 से बढ़ाकर 113 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।
3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।
4. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।



(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि, मानक वितरण सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

No. 1/2/2015-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated: 10th April, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2015.

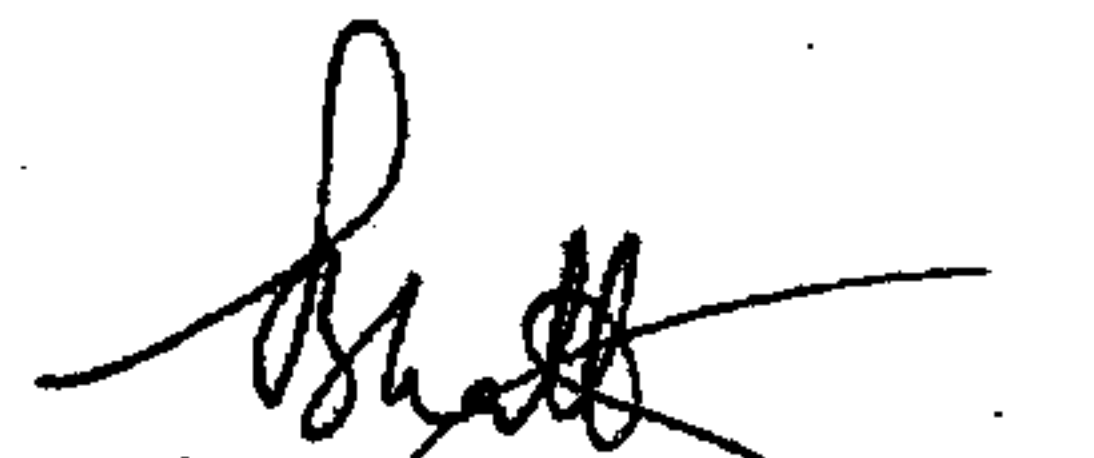
The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/2/2014-E-II (B) dated 18th September, 2014 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 107% to 113% with effect from 1st January, 2015.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.


(A. Bhattacharya)

Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).